R. No. 35646/79
Regd. No. MH/By-South/Tech/47-290/MBI/2003-05
Licence No. 24 - Licensed to post without prepayment. Posted at Byculla Sorting Post Office

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

290
सितंबर
2003

नीति

समुद्रपारीय निगमित निकायों की निवेश गतिविधियां

रिज़र्व बैंक ने सरकार के परामर्श से, समुद्रपारीय निगमित निकायों की भारत में वर्तमान विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियमावली के अंतर्गत विविध मार्गों/योजनाओं के अंतर्गत पात्र निवेशक वर्ग की उपलब्ध मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया है। अनिवासी भारतीयों के स्वामित्व वाली विदेशी इकाइयां उन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं जो किसी भी विदेशी निवेशक को उपलब्ध होती हैं। इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित रूट भी शामिल है।

यह निर्णय प्रतिभूति बाज़ार घोटाला पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफारियों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में समुद्रपारीय निगमित निकायों के निवेश कार्यकलापों की समीक्षा के अनुवर्तन के रूप में लिया गया है। उक्त समीक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि:

(क) संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत समुद्रपारीय निगमित निकायों पर नवंबर 2001 में लगायी गयी रोक जारी रहेगी।

(ख) निवेशक वर्ग इकाई के रूप में समुद्रपारीय निगमित निकायों को मौजूदा विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियमावली के अंतर्गत उपलब्ध विविध मार्गों/योजनाओं के अन्तर्गत भारत में नये निवेश करने की अनुमति नहीं होगी। नए एनआरई/एफसीएनआर (बैंक) खाते और एनआर(ओ) खाते खोलने की सुविधा भी वापस ले ली जाएगी।

(ग) अनिगमित इकाइयों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत, स्वचालित मार्ग समेत, नया निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

तदनुसार, तुरंत प्रभाव से निर्णय लिया गया है कि -

(i) अनिगमित इकाई और समुद्रपारीय निगमित निकाय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना (स्वचालित मार्ग समेत) के अंतर्गत नया निवेश नहीं करेंगे। परंतु अनिगमित इकाइयों और समुद्रपारीय निगमित निकाय शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों को उनकी बिक्री/उनके मोचन होने तक रख सकेंगे।

(ii) समुद्रपारीय निगमित निकाय गैर प्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद नहीं करेंगे। अलबत्ता, समुद्रपारीय निगमित निकाय गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर खरीदे गए शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों को उनकी बिक्री/ उनके मोचन होने तक अपने पास रख सकेंगे।

(iii) समुद्रपारीय निगमित निकाय सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों अथवा खज़ाना बिलों अथवा घरेलू म्यूचुअल फ़ंडों की यूनिटों अथवा भारत में मुद्रा बाज़ार म्यूचुअल फ़ंडों की यूनिटों अथवा प्रत्यावर्तनीय और गैर-प्रत्यावर्तनीय, दोनों आधार पर राष्ट्रीय योजना/बचत प्रमाण पत्रों की खरीद नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता, समुद्रपारीय निगमित निकाय इन प्रतिभूतियों को उनकी बिक्री तक अपने पास रख सकते हैं।

(iv) भारत से बाहर रहने वाला निवासी व्यक्ति, समुद्रपारीय निगमित निकायों समेत, अपने पास धारित शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को बिक्री अथवा उपहार के रूप में किसी अन्य समुद्रपारीय निगमित निकायों को अंतरित नहीं करेगा।

(v) समुद्रपारीय निगमित निकाय भारतीय कंपनी द्वारा अधिकार आधार पर दिए जा रहे ईक्विटी अथवा अधिमानी शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को नहीं खरीदेगा।

(vi) भारत में निवासी व्यक्ति किसी समुद्रपारीय निगमित निकाय से विदेशी मुद्रा में उधार नहीं लेगा।

(vii) कोई भारतीय कंपनी समुद्रपारीय निगमित निकाय से गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश के माध्यम से प्रत्यावर्तनीय और गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर रुपये में उधार नहीं लेगी।

(viii) भारत में कोई भारतीय कंपनी, स्वत्वाधिकारी प्रतिष्ठान अथवा फर्म समुद्रपारीय निगमित निकाय से गैर प्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयर स्वीकार नहीं कर सकेगी।

(ix) समुद्रपारीय निगमित निकाय भारत में प्राधिकृत व्यापारी के पास कोई अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता (एनआरई), विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) [एफसीएनआर (बैंक)] खाता और अनिवासी साधारण रुपया (एनआरओ) जमा खाता न तो खोलेगा और न बनाये रखेगा।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
समुद्रपारीय निगमित निकायों की निवेश गतिविधियां	1
लघु क्षेत्र को ऋण	2
ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - ब्याज दरें	2
शहरी बैंक	
शहरी सहकारी बैंक बीमा व्यवसाय करेंगे	3
शाखा बैंकिंग	
सीआरआर/एसएलआर रखने के प्रयोजन के लिए शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं की गणना	3
मुकदमा दायर खातों के संबंध में विधिक व्यय	3
एक्सटेंशन काउंटरों पर डिपोजिटरी सेवाएं	4
एनआरई खाता जमाराशियों पर ब्याज दर	4
विदेशी मुद्रा	
आयातों के लिए अग्रिम प्रेषण	4
वेतन भेजना - ढील	4
विदेशी दूतवासों के गैर राजनयिक स्टाफ़	4

समुद्रपारीय निगमित निकायों के सभी मौजूदा एनआरई (बचत, चालू) (रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अनुमति न लिये गये विशिष्ट ओसीबी खातों के सिवाय) खातों को तुरंत बंद किया जाएगा और मूल रूप से प्राधिकृत तरीके से उसकी शेष राशि को शीघ्रता से प्रत्यावर्तित किया जाएगा। मौजूदा एनआरई जमा (आवर्ती अथवा मीयादी) एफ़सीएनआर (बैंक) खाते और अनिवासी साधारण रुपया (एनआरओ) जमा (आवर्ती अथवा मीयादी) खाते उनकी मूल परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। एनआरई जमा और एफ़सीएनआर बैंक की परिपक्वता आय को शीघ्रता से प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

समुद्रपारीय निगमित निकायों के नाम में कोई नया एनआरई/एफ़सीएनआर/एनआरओ खाते नहीं खोले जाएंगे और किसी जमा का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक की पूर्व अनुमति के बिना जिन विनिर्दिष्ट समुद्रपारीय निगमित निकायों के खातों का परिचालन करने के लिए मना किया गया है, वे अनुदेश जारी रहेंगे।

प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश (निवेश संबंधी आय जो प्रत्यावर्तनीय है, उनके समेत) के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी प्राधिकृत किए गए के अनुसार उनका प्रत्यावर्तन करने की अनुमति दे सकते हैं। गैर प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेशों के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी अपने समुद्रपारीय ग्राहकों से निधियों के निपटान के लिए अनुरोध प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे और इस संबंध में रिज़र्व बैंक से मामला दर मामला आधार पर विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत समुद्रपारीय निगमित निकायों पर लगायी गयी रोक जारी रहेगी। परंतु वे संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत खरीदे गए शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों को तब तक रख सकते हैं जब तक कि वे भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर बेच नहीं दिए जाते।

लघु क्षेत्र को ऋण

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) को सूचित किया है कि वे लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण देने से संबंधित, नीचे दिये गये एक्शन पाइंटों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठायें:

(i) जिन बैंकों ने जून 2003 में सूचित किये गये अनुसार अपने स्वयं के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में बैंक को सूचित नहीं किया है, वे 30 सितम्बर 2003 तक सूचित कर दें।

(ii) बैंक ब्याज की दर के लिए कम से कम तीन स्तर रखने का विचार कर सकते हैं। ये 50 हजार रुपये तक के ऋणों के लिए, 50 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए और 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के लिए हो सकते हैं।

(iii) जिन बैंकों ने लघु उद्योगों के लिए संमिश्र ऋण सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किये जाने के बारे में अनुदेश जारी नहीं किये हैं, उन्हें चाहिए कि वे 30 सितम्बर 2003 तक ऐसा कर लें।

(iv) पता लगाये गये समूहों में ऋण आवश्यकताओं को वर्ष 2003-04 के लिए बैंकों की वार्षिक ऋण योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

(v) बैंकों को चाहिए कि वे अपनी योजनाओं के व्यापक प्रचार के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) के साथ तालमेल करें।

(vi) बैंकों को चाहिए कि वे लघु उद्योगों आदि के लिए जमानत मुक्त/संमिश्र ऋण की उपलब्धता के बारे में अपनी योजनाओं/सुविधाओं तथा टैक्नॉलोजी अपग्रेडेशन फण्ड/नेशनल इक्विटी फण्ड/खादी और ग्रामीण विकास आयोग/लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड के अन्तर्गत अपनी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें।

(vii) बैंकों को चाहिए कि वे लघु क्षेत्रों को अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के लिए लघु उद्योग एसोसिएशनों से तालमेल रखें।

(viii) बैंकों को चाहिए कि वे म्युचुअल निधियां प्रोमोट कर के ऋणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नये नये प्रयास शुरू करें। इनके ज़रिए लघु उद्योगों तथा वैंचर पूंजी निधियों पर ध्यान दिया जाये।

(ix) जिन बैंकों ने ऋण की लघु उद्योगों के पुनर्वास पर नये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयों की सहायता के लिए की गयी प्रगति का रिज़र्व बैंक को समीक्षा नोट की प्रति नहीं भेजी हैं, उन्हें चाहिए वे इसकी प्रति 30 सितम्बर 2003 तक भिजवा दें।

(x) बैंकों को चाहिए कि वे उद्यमियों के ऋण देने के मामले में खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा ब्याज सहायता पात्रता प्रमाण पत्र को मान्यता दें।

(xi) नाबार्ड को चाहिए कि वह लघु औद्योगिक एसोसिएशनों तथा खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग को अपनी प्रमोशनल योजनाओं के ब्यौरे दे।

(xii) लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड को चाहिए वे ग्रेडेड गारंटी शुल्क निर्धारित करने के लिए की गयी कार्रवाई के बारे में सूचित करें।

ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - ब्याज दरें

आरआइडीएफ-IV से VII

भारत सरकार के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि पहली अक्तूबर 2003 से आरआइडीएफ IV से VII की वितरित न की गयी राशियों के संबंध में ब्याज तथा जमा दरों को बदला जाये। तदनुसार, राज्य सरकारों को उक्त श्रृंखलाओं की वितरित न की गयी राशि पर नौ प्रतिशत का भुगतान करना होगा तथा बैंकों को ग्रामीण आधारभूत विकास निधि IV से VII के अपने अंशदान पर एकसमान रूप से आठ प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा।

आरआइडीएफ की किसी भी सरणि के अन्तर्गत राज्य सरकारों को संवितरण पूरे होने में कुछ वर्ष लग जाते हैं और राज्य सरकारें वास्तविक संवितरण के समय पर मौजूदा दरों पर ध्यान दिये बिना, सरणि को शुरू करने के समय तय की गयी दरों पर ब्याज अदा करती हैं। चूंकि घटती हुई ब्याज दरों के माहौल में इस बात से राज्य सरकारों को हानि उठानी पड़ती है, इसलिए कुछेक राज्य सरकारों से इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए थे कि उच्चतर दर पर करार की गयी आरआइडीएफ की पहली सरणियों की संवितरित न की गयी राशियों पर ब्याज की चल दरें वसूल की जायें।

आरआइडीएफ IX

आरआइडीएफ IX का गठन नाबार्ड के साथ 5500 करोड़ रुपयों की आधारभूत निधि के बाद किया गया था। वर्ष 2002-03 के लिए अपने बजट अभिभाषण में वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि आरआइडीएफ VIII में से और उसके बाद राज्य सरकारों को ऋणों पर लिये जाने बाले ब्याज की दरें मौजूदा बैंक दर के ऊपर 2.00 प्रतिशत पर निर्धारित की जायेंगी। तदनुसार, आरआइडीएफ IX में अंशदान करने वाले बैंकों द्वारा जमाराशियों पर देय ब्याज दर (रें) इस प्रकार होंगी:

निवल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में कृषि को उधार देने में कमी (अर्थात् लक्ष्य मायनस उपलब्धि)	**आरआइडीएफ IX में पूरी जमाराशि पर लगाये जाने वाली ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक)**
2 प्रतिशत पाइंट से कम	मौजूदा बैंक दर + 1.5 प्रतिशत
2 प्रतिशत से 4.99 प्रतिशत पाइंट	मौजूदा बैंक दर + 0.5 प्रतिशत
5 प्रतिशत से 8.99 प्रतिशत पाइंट	मौजूदा बैंक दर - 0.5 प्रतिशत
9 प्रतिशत पाइंट और अधिक	मौजूदा बैंक दर - 1.5 प्रतिशत

उपर्युक्त दरें चल दरें हैं और ये नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों को ऋणों की मंजूरी के समय मौजूदा बैंक दर से जुड़ी हुई हैं।

आरआइडीएफ IX में की गयी जमाराशियों पर बैंकों को देय ब्याज की वास्तविक दर जमाराशि की मांग करते समय नाबार्ड द्वारा सूचित की जायेगी।

सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्य/कृषि उधार लक्ष्य प्राप्त करने में हुई कमी की समतुल्य राशि का ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड) में अंशदान करें।

ग्रामीण आधारभूत विकास निधि की स्थापना वर्ष 1995-96 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट अभिभाषण के अनुसरण में नाबार्ड के साथ की गयी थी। इसकी स्थापना लघु और मध्यम सिंचाई, भू संरक्षण, वॉटरशेड प्रबंधन और ग्रामीण बुनियादी तत्त्वों के अन्य कामों से संबंधित निरंतर आधार पर चलने वाली परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य सरकार के स्वाधिकृत निकायों की सहायता के लिए की गयी थी। बाद में, केन्द्र सरकार के बजट में घोषणा करके वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आरआइडीएफ की और सरणियां स्थापित की गयी थीं। निधि ने अपने परिचालन के आठ वर्ष पूरे कर लिये हैं।

शहरी सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक बीमा व्यवसाय करेंगे

रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को बीमा कारोबार करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक जोखिम सहभागिता के बिना कार्पोरेट एजेंट के रूप में बीमा व्यवसाय कर सकते हैं।

शहरी सहकारी बैंक को चाहिये कि

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक की अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उसकी न्यूनतम निवल संपत्ति 100 करोड़ रुपये हो।

(ii) उसने एकल या सामूहिक ऋण सीमा (एक्सपोज़र) संबंधी मानदंडों को उल्लंघन न किया हो।

(iii) उसने निदेशकों/संबंधियों, फर्मों आदि को ऋण तथा अग्रिम देने के बारे में रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का पालन कर लिया हो।

उक्त मानदंडों को पूरा करने वाले एवं कार्पोरेट एजेंट के रूप में बीमा व्यवसाय करने के इच्छुक अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक प्रस्ताव के समर्थन में अपने निदेशक मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति और पिछली तिमाही के अंत की वित्तीय स्थिति के ब्यौरों के साथ अपनी आवेदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें।

शहरी सहकारी बैंकों को यह भी नोट करने के लिए सूचित किया गया है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लिए बिना बीमा व्यवसाय शुरू न करें। बीमा को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(1) (0) के अंतर्गत एक व्यवसाय के रूप में अधिसूचित किया गया है जिसे सहकारी बैंकों द्वारा अंगीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकार (कार्पोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियमावली 2002 ने भी कार्पोरेट एजंट अथवा संमिश्र कार्पोरेट एजेंट के रूप में काम करने के लिए पात्र संस्था के रूप में सहकारी बैंकों को मान्यता दी है।

शाखा बैंकिंग

सीआरआर/एसएलआर रखने के प्रयोजन के लिए शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं की गणना

रिज़र्व बैंक ने समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि वे प्रेषण सुविधाओं तथा ब्याज तथा लाभांश वारंटों के संवितरण के लिए दूसरे समकक्ष बैंकों के साथ व्यवस्थाओं के संबंध में देयता की गणना निम्नप्रकार करें :

- जब कोई बैंक अपनी प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत ग्राहक से निधियां स्वीकार करता है तब वह उसकी बहियों में देयता (अन्यों के प्रति देयता) बन जाती है। निधियां स्वीकार करने वाले बैंक की देयता केवल तभी समाप्त होगी जब स्वीकार करने वाले बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जारी ड्राफ्टों का प्रतिनिधि बैंक भुगतान कर देता है। अतः, स्वीकार करने वाले बैंक द्वारा प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत अपने प्रतिनिधि बैंक पर जारी और भुगतान के लिए शेष ड्राफ्टों के संदर्भ में शेष राशि स्वीकार करने वाले बैंक की बहियों में बाहरी देयता के रूप में परिलक्षित होनी चाहिए और उसे प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने के प्रयोजन के लिए शुद्ध मांग और मीयादी देयता की गणना के लिए भी हिसाब में लिया जाना चाहिए।
- प्रतिनिधि बैंकों द्वारा प्राप्त राशि को उनकी *बैंकिंग तंत्र के प्रति देयता* के रूप में दर्शाया जाना चाहिए, न कि *अन्यों के प्रति देयता* के रूप में तथा इस देयता को प्रतिनिधि बैंकों द्वारा अपनी अंतर-बैंक आस्तियों में से घटाया जा सकता है। इसी प्रकार, ड्राफ्ट तथा ब्याज/लाभांश वारंट जारी करने वाले बैंकों द्वारा रखी जानी वाली राशि को अपनी बहियों में *बैंकिंग तंत्र के पास आस्तियां* के रूप में माना जाना चाहिए तथा उसे उनकी अंतर-बैंक देयताओं में से घटाया जाना चाहिए।

यह पाया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रेषण सुविधाओं और ब्याज/लाभांश वारंट के लिए प्रतिनिधि बैंकों के साथ की गयी व्यवस्था के संदर्भ में अपनी देयताओं की गणना करने के लिए एकसमान प्रथा नहीं अपना रहे हैं। दोनों ही व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्वीकार करने वाले बैंक द्वारा अपने प्रतिनिधि बैंक को निधियों का अंतरण किया जाता है और प्रतिनिधि बैंक का यह दायित्व होता है कि वह उन लिखतों को स्वीकार करे। तथापि, निधियों का इस प्रकार का अंतरण और प्रतिनिधि बैंक द्वारा लिखत को स्वीकार करने का दायित्व किसी भी रूप में स्वीकार करने वाले बैंक के अपने ग्राहकों को ड्राफ्ट तथा ब्याज/लाभांश वारंट जारी करने के प्राथमिक दायित्व से मुक्त नहीं करता।

मुकदमा दायर खातों के संबंध में विधिक व्यय

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे मुकदमा दायर खातों के संबंध में विधिक व्यय की लेखाविधि के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करें :

- मुकदमा दायर खातों के संबंध में बैंक द्वारा किये गये व्यय को व्यय किये जाने के समय लाभ-हानि लेखा में नामे किया जाना चाहिए। इस प्रकार के व्यय की उधारकर्ता से वसूली के लिए बैंक एक मेमोरेंडम नियंत्रण खाता रख सकते हैं।
- उधारकर्ता से विधिक व्यय की वसूली के समय वसूल की गयी राशि को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखा में लेना चाहिए, जिस वर्ष में वसूली की गयी है।
- इस संबंध में बैंक द्वारा वित्तीय विवरणी की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के समय लेखा विधि संबंधी नीति का समान रूप से पालन किया जाना चाहिए।

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 31 मार्च 2004 से एकसमान रूप से संशोधित क्रियाविधि अपनायें।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
29 अगस्त तथा 30 सितंबर 2003 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

यह पाया गया था कि बैंक मामला दायर खातों के संबंध में किये गये विधिक व्यय की लेखाविधि के संबंध में अलग- अलग पद्धति अपनाते हैं। इस विषय पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से परामर्श किया गया था।

एक्सटेंशन काउंटरों पर डिपोजिटरी सेवाएं

बैंकों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि जो बैंक डिपोजिटरी सहभागी के रूप में सेबी में पंजीकृत है, उन्हें विस्तार पटल पर डिपोजिटरी सेवाओं की सुविधा अपने ग्राहकों को देने के लिए अनुमति दी जाये। तदनुसार विस्तार पटल पर निम्नलिखित प्रकार के कार्य किये जा सकते हैं :

- अभौतिकीकरण, अर्थात् भौतिक प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलना।
- पुन: भौतिकीकरण, अर्थात् हिताधिकारी के अपने खाते में शेष इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में बदलना।
- इलेक्ट्रॉनिक फार्म में धारित प्रतिभूतियों का रिकॉर्ड रखना।
- हिताधिकारी के अपने खातों से/में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी/प्राप्ति द्वारा व्यापार का निपटान।
- इनीशियल पब्लिक ऑफर (आइपीओ) के अंतर्गत जारीकर्ता द्वारा आबंटित प्रतिभूतियों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक जमा (क्रेडिट) लिखना।
- अभौतिक खातेदारों की ओर से नकदी से इतर कंपनी लाभ प्राप्त करना, जैसे कि बोनस और अधिकार (राइट) शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में आबंटन अथवा समेकन, स्टॉक के विभाजन अथवा कंपनियों के सम्मिलन/समामेलन से उपजी प्रतिभूतियां।

बैंकों को चाहिए कि वे सेबी/एनएसडीएल/सीडीएसएल तथा लागू होने वाले सभी अन्य विनियमों का पालन करें। विस्तार पटल पर अभौतिकीकृत प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण सुविधा देने अथवा काउंटर पर प्रतिभूतियों को उधार देने अथवा उधार लेने की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए।

एनआरई खाता जमाराशियों पर ब्याज दर

समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि अगली सूचना जारी होने तक एक से तीन वर्ष (भारत में 15 सितंबर 2003 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी) की संविदाकृत नई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दर तदनुरूपी परिपक्वता वाले यूएस डॉलर के लिए लिबोर/स्वैप दरों से ऊपर 100 आधार अंक (17 जुलाई 2003 को घोषित 250 अंक आधार के बजाए) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों की परिपक्वता अवधि एक से तीन वर्ष के लिए बनी रहेगी तथा तीन वर्षों की जमाराशियों के लिए ऊपर निर्धारित ब्याज दर तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों के मामले में भी लागू होगी।

ब्याज दरों में किए गए उक्त परिवर्तन वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत की गई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होंगे।

बैंक अपनी विदेश स्थित शाखाओं तथा एनआरई जमाराशियों के कारोबार करने वाली भारतीय शाखाओं का यथाशीघ्र संशोधित ब्याज दरों के बारे में सूचित करें।

विदेशी मुद्रा

आयातों के लिए अग्रिम प्रेषण

भारत में माल के आयात की प्रक्रिया को और अधिक उदारीकृत तथा सरल बनाने के विचार से अब निर्णय किया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी अब से भारत में माल के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण की अनुमति निम्न प्रकार से दे सकते हैं :

(क) यदि अग्रिम प्रेषण की राशि 100,000 अमरीकी डॉलर या उसकी समतुल्य राशि से अधिक होती है तो शर्तरहित अप्रतिसंहरणीय अतिरिक्त साख पत्र अथवा भारत से बाहर स्थित किसी ख्याति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय बैंक की गारंटी अथवा भारत से बाहर स्थित किसी ख्याति प्राप्त किसी अंतरराष्ट्रीय बैंक की काउंटर गारंटी के आधार पर कोई गारंटी जारी की जाती है तो भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी की गारंटी ली जाए।

(ख) ऐसे मामलों में जहां आयातक (सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम के सिवाय) समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता से बैंक गारंटी प्राप्त करने में असमर्थ हो और प्राधिकृत व्यापारी आयातक के पूर्व अभिलेख और उसकी सत्यता के बारे में संतुष्ट हो तो एक मिलियन अमरीकी डॉलर के अग्रिम प्रेषण के लिए बैंक गारंटी/अतिरिक्त साख पत्र की वांछनीयता का आग्रह न किया जाए। प्राधिकृत व्यापारी ऐसे मामलों के निपटान के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बनाई गई उपयुक्त नीति के अनुसार अपना आंतरिक दिशानिदेश बनाएं।

(ग) सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा केंद्रीय/राज्य सरकारों के विभाग/उपक्रम के मामले में एक सौ हज़ार अमरीकी डॉलर से अधिक राशि के अग्रिम प्रेषण के लिए गारंटी की वांछनीयता विशेष रूप से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, माफ की जा चुकी है।

प्राधिकृत व्यापारियों को जून 2003 अनुमति दी गयी थी कि वे 100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि के बराबर भारत में माल के आयात के लिए बिना बैंक गारंटी अग्रिम प्रेषण कर सकते हैं।

वेतन भेजना - ढील

यह निर्णय लिया गया है कि भारत से बाहर किसी विदेशी कंपनी में नियोजित तथा ऐसी विदेशी कंपनी के भारत में कार्यालय/शाखा/सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति भारत से बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं, धारित कर सकते हैं और बनाए रख सकते हैं। वे भारत में कार्यालय/शाखा/सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम में विदेशी कंपनी को दी गयी सेवाओं के बदले उन्हें प्राप्य वेतन निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे खाते में जमा द्वारा प्राप्त कर सकते हैं :

(i) ऐसे खाते में जमा की रकम विदेशी कंपनी से ऐसे व्यक्ति को उपचित अथवा प्राप्त वेतन के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ii) शेष वेतन का रुपये में भारत में भुगतान किया जाएगा।

(iii) भारत में उपजित संपूर्ण वेतन प्रचलित करों के अधीन होगा।

विदेशी दूतवासों के गैर राजनयिक स्टाफ़

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी दूतवासों के गैर राजनयिक स्टाफ़ को, जो संबंधित देशों के नागरिक हैं और जिनके पास राजकीय पारपत्र हैं, विदेशी मुद्रा जमा खाते रखने की अनुमति देने के बारे में सूचित किया है।

इससे पूर्व 3 मई 2000 भारत में राजनयिक मिशनों और राजनयिक कार्मिकों को विदेशी मुद्रा खातों में जमा धारित करने की अनुमति दी गयी थी।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ऍण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र । ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**